FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखाण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर

लखवीर सिंह आदि बनाम गुरविन्द्र सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148(क) सीपीसी नम्बर 4 सन् 2019

...मील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.05.2019	आज यह कैवियट प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण लखवीर सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जटसिख निवासी 33एच तहसील श्री करणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह ने अन्तर्गत धारा 148(क) सीपीसी पेश किया प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि चक 33 एच के मु.न. 35 के संबंध मे अप्रार्थीगण या अन्य के द्वारा कोई वाद पत्र या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो प्रार्थीगण को सुने बिना कोई आदेश पारित नही किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। इस संबंध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावें। (हस्ताक्षर)	रजिस्टर्ड नोटिस जारी 150 9/5/19
२। 8/19	आज यह पत्रावली पेशी मे ली गई। उक्त प्रकरण को 90 दिन से अधिक का समय हो चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कैवियट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सत्यमेव जयते श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner